राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांकः प.40(35)सामान्य/2024/14222 दिनांकः–05.01.2024

–:कार्यालय आदेशः–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर, लू(60)/वो.–2/2023 दिनांक 04.01.2024 के निर्देशानुसार राज्य में अत्यधिक शीत लहर को देखते हुए जिले के स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन का समय परिवर्तन/विद्यार्थियों के लिए अवकाश करने हेतु अधिकृत किया गया है। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण के पत्रांक 1591 दिनांक 05.01.2024 व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जोधपुर के पत्रांक 09 दिनांक 05.01.2024 ने शीतकालीन अवकाश उपरान्त भी विद्यालयों में अवकाश रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण जिले के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक व समस्त आंगनवाड़ी केद्रों में दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 13.01.2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षकों एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जिला कलक्टर 05/01
जोधपुर

क्रमांकः प.40(35)सामान्य/2024/ 14223-35 दिनांकः–05.01.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक/माध्यमिक), जोधपुर
4. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर।
6. गोपनीय शाखा, कार्यालय जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर, प्रथम/ग्रामीण, जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

–Sd–

अपर जिला कलक्टर,
जोधपुर

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर, लू (60)/ वो.–2/2023/ दिनांक : .01.2024

समस्त जिला कलेक्टर।

विषय :– अत्यधिक शीत लहर के कारण विद्यालय के समय में परिवर्तन अथवा अवकाश करने बाबत।

उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में अत्यधिक शीत लहर को देखते हुए जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन का समय परिवर्तन/**विद्यार्थियों के लिए** अवकाश करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसे आदेश अल्प अवधि के लिए एवं यथासंभव छोटी कक्षाओं के लिये ही जारी किए जाएं। शीत लहर की स्थानीय व तात्कालिक स्थितियों के अनुसार पुनः विचार कर आगामी अवधि के लिये निर्णय लिया जाए।

संलग्न : यथोक्त।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि जिले में अत्यधिक शीत लहर की स्थिति में विद्यालय समय का यथोचित पुनर्निर्धारण/विद्यार्थियों हेतु अवकाश करवाने हेतु जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर यथोचित आदेश जारी कराएं।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
7. स्टॉफ आफिसर/निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
8. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2024.01.04 21:32:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref